

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभाग के द्वारा जारी किए गए स्थानान्तरण आदेशों के संबंध में आनलाईन परिवेदनाएं शालादर्पण के स्टॉफ कार्नर पर आमंत्रित की गई थी। स्थानान्तरण आदेश में व्याख्याता वाणिज्य के संबंध में प्रस्तुत परिवेदनाओं का निस्तारण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.19 एवं विभाग के उपलब्ध रिक्त पद तथा विद्यार्थियों के हित में उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार समुचित उपयोग किए जाने के परिप्रेक्ष्य में परिवेदनाओं का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है:-

क्र.स.	परिवेदक का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	परीक्षापूर्वपरांत विभागीय अभिमत	परिवेदना का निस्तारण
1	MAHAVIR PRASAD NAMA	GOVERNMENT A SR.SEC.SCHOOL TODGARH(AJMER) (NIC-SD School/Office Code:221691)	AJMER	प्राथी के द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण परिवेदना स्थान संशोधन हेतु ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण संशोधन करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
2	SHIVRAJ DACOT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAVEEN ALWAR (NIC-SD School/Office Code:215731)	ALWAR	प्रस्तुत परिवेदना द्वारा स्थानान्तरण में संशोधन राबाउमावि नाहरी का नाका चाहा गया है। वांछित स्थान स्पष्ट रिक्त नहीं होने की स्थिति में चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। परिवेदना खारिज योग्य पाई गई	परिवेदना खारिज की जाती है।
3	RAMESH CHAND SHARMA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARTAPUR,BLOCK-NEEMRANA,ALWAR (NIC-SD School/Office Code:216248)	ALWAR	प्राथी के द्वारा परिवेदना में स्वयं की हृदय की बीमारी का लिखतें हुए संशोधन हेतु निवेदन किया है। प्रकरण स्वयं की गंभीर बीमारी /ओपन हार्ट सर्जरी से संबधित नहीं है एवं न ही परिवेदक ने ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
4	DIPENDRA KUMAR	ANARDEVI GOVT. SR. SEC. SCHOOL NAGAR (NIC-SD School/Office Code:217063)	BHARATPUR	परिवेदक द्वारा स्थानान्तरित स्थान ANARDEVI GOVT. SR. SEC. SCHOOL NAGAR भरतपुर में शून्य नामांकन की प्रदत्त अवगति का परीक्षण शालादर्पण से किये जाने पर नामांकन शून्य नामांकन पाया गया अतः स्थानान्तरित जिला भरतपुर में ही अधिकतम नामांकन वाले रिक्त विद्यालय Kishan Lal Joshi Govt.Senior Secondary School, Deeg, भरतपुर में किया जाना उचित है।	परिवेदक का स्थानान्तरित स्थान में संशोधन ANARDEVI GOVT. SR. SEC. SCHOOL NAGAR भरतपुर के स्थान पर Kishan Lal Joshi Govt.Senior Secondary School, Deeg, भरतपुर किया जाता है।

(Signature)

क्र.स.	परिवेदक का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	परीक्षणोपरान्त विभागीय अभिमत	परिवेदना का निस्तारण
5	BALDEV SINGH CHARAN	GOVT SR.SEC.SCHOOL, HADAN (NIC-SD School/Office Code:211368)	BIKANER	प्रार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर से वांछित जिला बीकानेर में ही किया गया है। बीकानेर जिले में स्थान विशेष में किए जाने हेतु प्रस्तुत परिवेदना में ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में वांछित स्थान हेतु मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण निरस्त करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
6	NARAYAN BABU TAILOR	GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL DABLANA (NIC-SD School/Office Code:221543)	BUNDI	प्रार्थी के द्वारा परिवेदना में जिला बून्दी में स्थानान्तरण निरस्त करने की मांग की गई है। स्थानान्तरण पूर्व कार्यरत जिला बून्दी में ही किया गया है। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण निरस्त करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
7	GAJANAND SWAMI	GSSS LACHHARSAR (NIC-SD School/Office Code:215547)	CHURU	प्रार्थी का स्थानान्तरण कार्यरत जिले में ही किया गया है। प्रार्थी के द्वारा मात्र दूरी के आधार पर स्थानान्तरण चाहा गया है। परिवेदक के द्वारा परिवेदना में ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण संशोधन करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण निरस्त करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
8	SUNIDHI SANDEEP	GOVT SEN. SEC. SCH. CHONP (NIC-SD School/Office Code:218623)	JAIPUR	परिवेदना का निस्तारण आदेश दिनांक 14.10.19 द्वारा किया जाकर अनुतोष दिया जा चुका है। अतः कोई करणीय कार्यवाही शेष नहीं है।	परिवेदना का निस्तारण आदेश दिनांक 14.10.19 द्वारा किया जाकर अनुतोष दिया जा चुका है।

21/10/19

क्र.स.	परिवेदक का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	परीक्षणोपरान्त विभागीय अभिमत	परिवेदना का निस्तारण
9	PRATEEK SINGH	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL TINWARI (NIC-SD School/Office Code:219007)	JODHPUR	प्रार्थी का स्थानान्तरण कार्यरत जिल में ही किया गया है। एवं प्रार्थी के द्वारा परिवेदना में ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण संशोधन करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है।	परिवेदना खारिज की जाती है।
10	RAMESHWAR PRASAD SHARMA	G. G. SR SEC SCHOOLWARE CITY S.MADHOPUR (NIC-SD School/Office Code:217967)	S.MADHOPUR	प्रार्थी के द्वारा परिवेदना गृह जिले में स्थानान्तरण की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण संशोधन करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण संशोधन करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
11	JEET RAM MEENA	GOVT SR SEC BAMANWAS KHURD (NIC-SD School/Office Code:212764)	S.MADHOPUR	प्रार्थी के द्वारा परिवेदना में ऐसे कोई तथ्य एवं कारण मय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके आधार पर इनके स्थानान्तरण संशोधन करने के संबंध में विचार किया जा सके। स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण संशोधन करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
12	BAL KRISHAN BHATNAGAR	GOVT. SENIOR SEC.SCHOOL-KHANDAR (NIC-SD School/Office Code:217868)	S.MADHOPUR	स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण संशोधन करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।
13	JITENDRA KUMAR KHANDELWAL	GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL KALANDRI (NIC-SD School/Office Code:213933)	SIROHI	स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। व्या. का पद राज्य सेवा का पद है अतः कार्मिक को कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। किया गया स्थानान्तरण उक्ता अनुरूप उचित प्रकट है। अतः स्थानान्तरण संशोधन करने बाबत प्रस्तुत परिवेदना पर विचारण नहीं किया जा सकता।	परिवेदना खारिज की जाती है।

Signature

क्र.स.	परिवेदक का नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	परीक्षणोपरान्त विभागीय अभिगत	परिवेदना का निस्तारण
14	GOPAL SINGH ASOLIYA	GOVT. SR. SEC.SCHOOL, SUVERI (NIC-SD School/Office Code:223453)	UDAIPUR	स्थानान्तरण के संबंध में मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प.5(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2018 दिनांक 10.09.19 द्वारा स्थानान्तरण पर 30.09.2019 से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के परिप्रेक्ष्य में कोई करणीय कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्राप्त पत्र पंज किया जा सकता है।	परिवेदना खारिज की जाती है।

क्रम संख्या 04 में अंकित में कार्मिक को आदेशित किया जाता है कि संशोधित स्थानान्तरित स्थान अविलम्ब कार्यग्रहण करे। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी। सभी संबंधित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/सस्था/सी-2/स्थानान्तरण-परिवेदना निस्तारण/इतिहास-बाणिज्य/2019-20

दिनांक- 25.10.2019

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति
- 6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित कार्मिकों
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर